

**न्यायालय:-साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी**  
**जिला-अशोकनगर (म.प्र.)**

**दांडिक प्रकरण कं.-209/11**  
**संस्थापित दिनांक-06.06.2011**  
Filling no-RCT/00200209/2011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर। .....अभियोजन
<b>विरुद्ध</b>
1- थानसिंह पुत्र रघुराज सिंह यादव उम्र 40 साल 2- प्रमोद पुत्र रघुराज सिंह यादव 28 साल 3- पल्लू पुत्र दिमान सिंह यादव उम्र 34 साल 4- राजू यादव पुत्र दिमान सिंह यादव उम्र 27 साल निवासीगण- नई बस्ती फतेहाबाद 5- वीरन पुत्र किशन कुशवाह उम्र 26 साल निवासी - लाल बाबडी चंदेरी .....आरोपीगण 6-किशन कुशवाह पुत्र करोडीलाल उम्र 50 साल 7-श्यामलाल पुत्र देवीलाल उम्र 60 साल .....मृत

**-: निर्णय :-**

**(आज दिनांक 27.10.2017 को घोषित)**

01- अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 294, 324/149, 323/149, 325/149, 148, 506 भाग दो भा0द0वि0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि दिनांक 02.05.2011 को रात्रि लगभग 12 बजे फतेहाबाद तिराहा चंदेरी में सार्वजनिक स्थान पर रामकृष्ण को मां, बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं सामान्य उद्देश्य का गठन कर उसके अग्रसरण में रामकृष्ण को धारदार वस्तु से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की एवं सामान्य उद्देश्य का गठन कर उसके अग्रसरण में आहत कपिल के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा सामान्य उद्देश्य का गठन कर उसके अग्रसरण में आहत रामकृष्ण की मारपीट कर उसकी अस्थि भंग कर स्वेच्छया उपहति कारित की एवं सशस्त्र द्वा तातक आयुध से सुसजित होकर विधि विरुद्ध जमाव का गठन कर उसके अग्रसरण में बल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया एवं फरियादी/आहतगण को संत्रास कारित करने के उद्देश्य से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

**02—** प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि आरोपी **किशन एवं श्यामलाल** की विचारण के दौरान मृत्यु हो जाने के कारण उनके संबंध में अभियोजन कार्यवाही समाप्त की जा चुकी है, और यह निर्णय शेष आरोपी थानसिंह, प्रमोद, पल्लू, राजू, वीरन के संबंध में पारित किया जा रहा है।

**03—** अभियोजन का पक्ष संक्षेप में है कि दिनांक 03.05.2011 को अस्पताल चंदेरी से एक तहरीर जांच हेतु प्राप्त हुई थी जिसका सान्हा क्रमांक 68 दिनांक 03.05.2011 पर 3 बजे आमद दर्ज कर जांच में ली गई। जांच के दौरान मजरूब रामकिशन नामदेव एवं कपिल नामदेव के मेडिकल परीक्षण कराये गये एवं दोनों के कथन लिये गये। दिनांक 02.05.2011 को रात करीब 12 बजे उसकी दुकान बंद करके दुकान के बाहर तखत पर सो रहे थे कि उसी समय थानसिंह, शराब पीकर आया और गाली गलौच करने लगा, गाली की आवाज सुनकर वह तथा उसके लडके की नींद खुल गई, उसने थान सिंह को समझाया कि गाली क्यों दे रहा है तभी थानसिंह ने मोबाईल किया और 15-20 मिनट में पल्लू, राजू, प्रमोद, किशन, वीरन, श्यामलाल लाठी एवं लुहांगी लेकर आ गये और एक राय होकर मां बहन की गंदी-गंदी गालियां देने लगे, उसने गाली देने से मना किया तो सभी लोग उसे मारने पीटने लगे जिससे शरीर में जगह-जगह चोटें आ गई थी, उसका लडका बचाने आया तो उसकी भी मारपीट आरोपीगण ने कर दी। जब घटना रिपोर्ट करने थाने आने लगे तो सभी आरोपीगण जान से मारने की धमकी दे रहे थे। पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शा-मौका बनाया गया। आहतगण का मेडिकल कराया था। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। आरोपीगण को गिरफ्तार किया, सम्पत्ति जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

**04—** अभियुक्तगण को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर स्वयं को निर्दोश होना तथा रंजिशन झुठा फसाया जाना एवं बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

**05— प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :-**

1.	क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 02.05.2011 को रात्रि लगभग 12 बजे फतेहाबाद तिराहा चंदेरी में सार्वजनिक स्थान पर रामकृष्ण को मां, बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?
2.	क्या अभियुक्तगण द्वारा उक्त दिनांक समय व स्थान पर सामान्य उद्देश्य का गठन कर उसके अग्रसरण में रामकृष्ण को धारदार वस्तु से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की एवं सामान्य उद्देश्य का गठन कर उसके अग्रसरण में आहत कपिल के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

3.	क्या अभियुक्तगण द्वारा उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादी को सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में धारदार हथियार से मारपीट कर साधारण उपहति कारित की ?
4.	क्या अभियुक्तगण द्वारा उक्त दिनांक समय व स्थान पर सामान्य उद्देश्य का गठन कर उसके अग्रसरण में आहत रामकृष्ण की मारपीट कर उसकी अस्थि भंग कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
5.	क्या अभियुक्तगण द्वारा उक्त दिनांक समय व स्थान पर सशस्त्र घातक आयुध से सुसजित होकर विधि विरुद्ध जमाव का गठन कर उसके अग्रसरण में बल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया ?
6.	क्या अभियुक्तगण द्वारा उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादी/आहतगण को संत्रास कारित करने के उद्देश्य से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

**: : सकारण निष्कर्ष : :**

**विचारणीय प्रश्न क0 1 व 6:-**

**06—** विचारणीय प्रश्न क. 1 व 6 एक-दूसरे से संबंधित होने से व साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये उनका एक साथ विश्लेषण किया जा रहा है। अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। फरियादी रामकिशन नामदेव अ0सा01 ने उसके मुख्य परीक्षण के पैरा 1 में बताया कि वह उसके मकान पर स्थित दुकान पर सो रहा था, तो थानसिंह आदि सभी आरोपीगण ने मां बहन की गालियां दी थी। कपिल नामदेव अ0सा02 ने भी उसके मुख्य परीक्षण के पैरा 1 में बताया कि पहले थान सिंह आया और मां बहन की गालियां दी। किन्तु उक्त साक्षीगण ने उनके न्यायालयीन कथनों में यह व्यक्त नहीं किया कि आरोपीगण द्वारा उन्हें मां बहन की कौन सी गालियां उच्चारित की थी और न ही इस बारे में कोई कथन दिये कि उक्त गालियों से उन्हें क्षोभ कारित हुआ हो और न ही साक्षी ने यह व्यक्त किया कि आरोपीगण द्वारा उसे लोक स्थान पर गालियां दी गई थी। इसके अलावा आरोपीगण द्वारा संत्रास कारित करने के उद्देश्य से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किये जाने के संबंध में कोई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये।

**07—** उल्लेखनिय है कि भा0द0स0 की धारा 503 में परिभाषित “आपराधिक अभित्रास” का अपराध गठित करने के लिये धमकी वास्तविक होना चाहिए न की शब्द, जहां कि शब्द बोलने वाले व्यक्ति का आशय वह नहीं होता जोकि वह कह रहा है और वह व्यक्ति जिसें धमकी दी गई है वास्तव में भयभीत न हो तो वह अपराध घटित नहीं होता है। आपराधिक अभित्रास का एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि

भयभीत करने का अथवा किस व्यक्ति को भयभीत किया गया है उस व्यक्ति को वह कार्य करने के लिये विवश करने का आशय होना चाहिए जिसको करने के लिये वैधानिक रूप से वह बाध्य नहीं है या ऐसा कार्य/लोप करने के लिये विवश करना चाहिए जिसे करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार है, साथ ही उपयोग किये गये शब्दों से इस बात का स्पष्ट संकेत होना चाहिए कि अभियुक्त क्या करने वाला है और फरियादी को युक्तियुक्त रूप से वह लगना चाहिए कि अभियुक्त उसके शब्दों को कार्य रूप में परिणित करने वाला है। **शरद दबे एवं अन्य विरुद्ध महेश गुप्ता व अन्य 2005 (4) एन.पी.एल.जे. 330** में माननीय न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया कि केवल जान से मारने की धमकियां भा0द0सा0 की धारा 506 भाग-2 के अधीन अपराध का गठन नहीं करती।

**08—** फलतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचना से यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी रामकृष्ण को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया तथा संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया।

#### **विचारणीय प्रश्न क0 2, 3, 4 व 5:-**

**09—** विचारणीय प्रश्न क. 2, 3, 4 व 5 एक-दूसरे से संबंधित होने से व साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये उनका एक साथ विश्लेषण किया जा रहा है। फरियादी रामकिशन नामदेव अ0सा01 ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह सभी आरोपीगण को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथनों से ढाई साल पुरानी होकर रात 11-11:30 बजे की है। उक्त साक्षी ने बताया कि जब वह उसकी दुकान पर था और उसके साथ कपिल भी उसके मकान पर स्थित दुकान पर सो रहा था तो थानसिंह आदि सभी आरोपीगण ने उसे मां बहन की गालियां दी और एकदम से उसे मारने को लग गये, पहले थानसिंह आया फिर बाकी सभी लोग लट्ठ फर्सा और चाकू लिये थे। उक्त साक्षी ने बताया कि पहले उसे थान सिंह ने एक फर्सा मारा जो उसके सिर में लगा। राजू ने एक चाकू मारा जो उसकी हथेली में पकड़ा तो उसे हथेली में चाकू लगा और सभी लोगों ने उसे लाठियों से मारा और वह गिरकर बेहोश हो गया। उक्त साक्षी ने बताया कि उसका छोटा बच्चा कपिल उसके साथ में था, उसको भी आरोपीगण ने मारा था और उसे सिर व शरीर में मुंदी चोटे आई थी।

**10—** रामकिशन नामदेव अ0सा01 ने उसके प्रतिपरीक्षण में बताया कि वह थानसिंह को दुकान से सामान नहीं देता था इसी बात पर वह उससे झगड़ा करता था और थानसिंह घटना के समय सभी आरोपी के साथ आया था। उक्त साक्षी ने बताया कि आरोपी थानसिंह के अलावा प्रमोद, पल्लू, राजू, श्यामलाल, वीरन, किशन मारपीट करने घटना के समय आए थे। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में बताया कि घटना के

**Criminal Case No-209/11**  
**Filing no-RCT/00200209/2011**

समय आरोपी थानसिंह फर्सा, प्रमोद छुरी, बल्लू लाठी व शेष आरोपी लाठी लिये थे। उक्त साक्षी का कहना है कि वह घटना के समय नहीं देख पाया था कि आरोपीगण के पास लाठी या लोहांगी क्या चीजे थी। उक्त साक्षी ने बताया कि उसके सिर में चोट लगने से काफी खून निकला था और कपड़े खून से तरबतर हो गये थे। यद्यपि उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 14 में बताया कि घटना के समय आरोपी राजू चाकू नहीं लिये था और आरोपी राजू द्वारा चाकू मारने वाली बात जो मुख्य परीक्षण में उसने बताई है वह गलत है।

**11—** कपिल नामदेव अ0सा02 ने उसके मुख्य परीक्षण में बताया कि वह आरोपीगण एवं फरियादी रामकिशन को जानता है। उक्त साक्षी ने बताया कि घटना के समय वह घर के अन्दर सो रहा था और उसके पिता घर के बाहर सो रहे थे, पहले थानसिंह आया और मां बहन की गालियां दी। थानसिंह शराब पीए था। थानसिंह ने फोन लगाकर पल्लू, प्रमोद, राजू, वीरन, रामकिशन कुशवाह को बुलाया। उक्त साक्षी ने बताया कि आरोपी लट्ठ, चाकू लिये हुए थे, उसके पिता को सिर, दोनो हाथो व दोनो पैरो में चोटे आई थी, किस व्यक्ति ने किस हथियार से उसके पिता की मारपीट की थी उसे याद नहीं है। कपिल अ0सा02 ने बताया कि झगड़े में उसे सिर व पैर में चोट आई थी, उसे पल्लू ने मारा था। उक्त साक्षी ने बताया कि जब वह अपने भाई को बुलाकर लाया तो आरोपीगण जा चुके थे। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 4 में बताया कि उसके पिता को दोनो हाथो में किसने मारा उसे नहीं पता, किसी धारदार वस्तु से उसके पिता को हाथ में मारा था जिससे उनके दोनो हाथो की हथेली पर अंगुठे के पास कट गये थे। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बताया कि उसने थानसिंह को उसके पिता को मारते देखा था, लेकिन किस आरोपी ने किस हथियार से मारा उसने नहीं देखा। दो आरोपी चाकू लिये थे बाकी लोग लाठी लिये थे। घटना के समय एक ट्यूब लाईट जल रही थी ज्यादा अंधेरा नहीं था। उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया कि उसके पिता रामकिशन शराब के नशे में पत्थरो पर गिर गये थे जिससे उन्हें चोट आई।

**12—** प्रमोद अ0सा03 ने उसके मुख्य परीक्षण में बताया कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथनो से करीब 3 साल पहले की है। उक्त साक्षी ने बताया कि उसके पिता और छोटा भाई शादी में से आकर सो रहे थे तभी आरोपीगण ने उनकी मारपीट की। उक्त बात उसे हाठकापुरा में आकर उसके छोटे भाई और फिरोज ने बताई थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि यह साक्षी अनुश्रुत साक्षी है। फिरोज खान अ0सा04 ने उसके मुख्य परीक्षण में बताया कि उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उसने अभियोजन कहानी का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया है जिससे उक्त साक्षी की साक्ष्य पर अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। महताब यादव अ0सा08 एवं कैलाश अ0सा09 ने उनके न्यायालयीन कथनो में व्यक्त किया कि वह आरोपीगण को जानते हैं और साक्षी मेहताब यादव अ0सा0 8 ने गिरफ्तारी

**Criminal Case No-209/11**  
**Filing no-RCT/00200209/2011**

पंचनामा प्र.पी. 7 लगायत 10 एवं जप्ती पंचनामा प्र.पी. 14 के बी से बी भागो पर एवं साक्षी कैलाश अ0सा09 ने गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 7, 9, 10 एवं जप्ती पंचनामा प्र. पी. 14 के सी से सी भागो पर हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। किन्तु उक्त साक्षीगण ने आरोपीगण को उनके समक्ष गिरफ्तार किया जाना एवं आरोपीगण से जप्ती पंचनामा प्र.पी. 14 के अनुसार आयुद्य जप्त किये जाने से इंकार किया। उक्त साक्षीगण ने अभियोजन अधिकारी द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उन्होंने जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही उनके समक्ष किये जाने से इंकार किया।

**13—** डॉ0 आर.पी.शर्मा अ0सा05 द्वारा उसके न्यायालयीन कथनो में बताया कि वह दिनांक 03.05.2011 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चंदेरी में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को आहत रामकिशन पुत्र रामदास, निवासी चंदेरी घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती हुआ था जिसकी सूचना थाना चंदेरी में भेजी गई थी जो प्र.पी. 6 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा उक्त दिनांक को ही आहत रामकिशन की पुलिस से प्राप्त एमएलसी आवेदन पर एमएलसी की गई थी जिसमें आहत रामकिशन को बांये भुजा पर फेक्चर की संभावना पर एक्सरे की सलाह दी गई थी, बांयी तरफ सिर में फटा घाव था, कटा घाव दांये पंजे पर अंगुठे के पास, दोनो पैर की पिडली पर फटा घाव, पीछे कमर पर बहुत सारे नीलगू निशान जो लाल रंग के थे। उक्त साक्षी ने बताया कि मरीज को इलाज व एक्सरे में लिये जिला चिकित्सालय अशोकनगर भेजा गया था। चोट क्र0 3, 4, 5 साधारण प्रकृति की थी और चोट क्र0 3 धारदार वस्तु से और बाकी चोटे कठोर व बोथरी वस्तु से 12 घंटे के भीतर आना संभव थी। उक्त साक्षी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट प्र.पी. 6 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आहत कपिल के मेडिकल परीक्षण में दाहिनी भूजा पर एक फटा घाव था, चोट साधारण प्रकृति की थी। उक्त एमएलसी रिपोर्ट प्र.पी. 5 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बताया कि चोट क्र0 3 आहत रामकिशन द्वारा स्वयं कारित की जा सकती है और शेष चोटे एक्सीडेन्ट में आना संभव है।

**14—** डॉ0 एस.एस.छारी अ0सा07 द्वारा उसके कथनो में बताया कि उसने आहत रामकिशन की बांयी भूजा के मध्य भाग में बांयी ह्यूमरस हड्डी में अस्थिभंग पाया था और सिर में कोई अस्थिभंग नहीं थी। उसके द्वारा दी गई रिपोर्ट प्र.पी. 16 है जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बताया कि सामान्य प्रकार से गिरने से उक्त प्रकार का अस्थिभंग नहीं आ सकता क्योंकि अस्थिभंग बड़ा था।

**15—** अभियोजन साक्ष्य में फरियादी रामकिशन अ0सा01 एवं आहत कपिल अ0सा02 इस तथ्य पर एकमत रहे हैं कि घटना के समय अभियुक्तगण फर्सा, चाकू और लट्ठ लिये थे। उक्त साक्षीगण ने सभी आरोपीगणो के नाम उनके कथनो में व्यक्त किये हैं। रामकिशन अ0सा01 ने बताया कि आरोपी थानसिंह ने उसे सिर में फर्सा मारा और

प्रमोद ने उसे हाथ में छुरी मारी थी जिसे उसने पकड़ लिया था और शेष आरोपीगण लट्ठ लिये थे। उक्त बातों का सारतः समर्थन आहत कपिल नामदेव अ०सा०२ ने किया है। फरियादी रामकिशन अ०सा०१ एवं कपिल अ०सा०२ के कथन प्रतिपरीक्षण में भी सारतः अखण्डनीय रहे हैं और उनके कथनों में किसी भी प्रकार के तात्त्विक विरोधाभास अथवा लोप का अभाव है जिससे उक्त साक्षीगण के कथन विश्वसनीय प्रतीत होते हैं। जहां तक पूछे गये इन तथ्यों का प्रश्न है कि किस आहत को किस आरोपी के द्वारा किस हथियार से मारा था या किस आहत को किस स्थान पर चोट लगी थी और पहले कौन आया और बाद में कौन आया, उक्त प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने की अपेक्षा साक्षी से नहीं की जा सकती है। इस प्रकरण में अनेक अभियुक्तगण हैं और दो आहत हैं। घटना स्थल पर सभी अभियुक्तगण का साथ होना व आहतगण के साथ मारपीट होने में आहतगण के लिये यह बता पाना संभव नहीं होता है कि किस अभियुक्त ने किस आहत को शरीर के किन हिस्सों में मारा था।

**16— ए.बी.सी. रेड्डी वैक्टरमन बनाम प्रासीक्यूटर हाईकोर्ट ऑफ आंध्रप्रदेश 2008 सी.आर.एल.आर 238** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिमत दिया गया कि जब कई व्यक्तियों द्वारा साथ-साथ हमला किया जाता है तब हथियार की प्रकृति के संबंध में किसी व्यक्ति का ब्यौरा बताना असंभव है। यह बताया जाना असंभव माना है कि अभियुक्त द्वारा कौन से व्यक्ति ने हमला किया और शरीर के किस भाग पर क्षति कारित की गई। इस प्रकार यदि साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण में उक्त तथ्यों से अनभिज्ञ होना व्यक्त करता है या उनका जबाब नहीं दे पाता है, मात्र इस आधार पर इनकी अभिसाक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं माना जावेगा। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि साक्षीगण के कथनों में विरोधाभास है, इसलिये इनकी साक्ष्य अविश्वसनीय है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **रोकड सिंह वि० स्टेट ऑफ एम.पी., एम.पी.एल.जे 1996 पेज 57** में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिमत प्रकट किया गया कि साक्षीयों द्वारा घटना का वर्णन भाषा और तरीके में फेर फार स्वाभाविक है उससे वृत्तांत की यथार्थता प्रमाणित नहीं होती है। इसके विपरीत वृत्तांत में एक रूपता से साक्षीगण को सिखाने पढ़ाने के संकेत मिलते हैं।

**17—** अभियोजन साक्ष्य में फरियादी रामकिशन ने उसके कथनों में घटना को स्पष्ट किया है और प्रतिपरीक्षण में प्रतिकूल सुझावों से स्पष्टतः इंकार करता है, उसके कथनों का समर्थन आहत कपिल अ०सा०२ द्वारा भी किया गया है। फरियादी रामकिशन एवं आहत कपिल को आई हुई चोटों का समर्थन डॉ० आर.पी.शर्मा अ०सा०५ एवं डॉ० एस.एस.छारी अ०सा०७ द्वारा भी उनके चिकित्सीय प्रतिवेदन में किया है तथा घटना के तुरन्त पश्चात डॉ० आर.पी.शर्मा द्वारा थाना चंदेरी में प्र.पी. 6 की तहरीर भेजी जाना उसके पश्चात साक्षी नरेन्द्र सिंह रघुवंशी अ०सा०६ द्वारा उक्त तहरीर की जांच पश्चात उक्त जांच रिपोर्ट पर से अपराध की कायमी क० [205 / 11](#) की जाकर उसे केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होना एवं साक्षीगण के समक्ष आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 7 लगायत 13 तैयार

**Criminal Case No-209/11**  
**Filling no-RCT/00200209/2011**

करने एवं आरोपी थानसिंह, प्रमोद, पल्लू, राजू से प्र.पी. 14 के अनुसार अर्थात् लोहांगी, एक लोहे की धारदार छुरी एवं 2 लाठी जप्त कर जप्ती पंचनामा साक्षीगण के समक्ष तैयार किया जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

**18—** अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के उपरोक्तानुसार किये गये विशलेषण के आधार पर यह प्रमाणित है कि घटना के समय अभियुक्तगण एक साथ मौके पर उपस्थित थे और उनके द्वारा विधि विरुद्ध जमाव का गठन किया जिसके सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में फरियादी रामकिशन एवं आहत कपिल की मारपीट कर उपहति कारित कर बलबा किया और इसी सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में रामकिशन को धारदार वस्तु से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति एवं आहत कपिल की स्वेच्छया साधारण उपहति एवं रामकृष्ण की मारपीट कर अस्थिभंग कारित की। अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 294 एवं 506 भाग दो का आरोप प्रमाणित न होने से उन्हें उक्त आरोपो से दोषमुक्त किया जाता है, किन्तु अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा [324/149](#), [323/149](#), [325/149](#) एवं 148 भा0द0वि0 का आरोप प्रमाणित होने से दोषसिद्ध पाया जाता है।

**19.** दोषसिद्ध अपराध की प्रकृति एवं प्रकरण की परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्तगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण दंड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु स्थगित किया जाता हैं।

**साजिद मोहम्मद**  
**न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी**  
**चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0**

**पुनश्च:-**

**20—** उभयपक्ष को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्तगण की ओर से प्रथम अपराध को दृष्टिगत रखते हुये कम से कम दण्ड दिये जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से अधिक से अधिक दण्ड दिये जाने का निवेदन किया गया हैं। प्रकरण के तथ्य, आहत को आयी चोटें एवं समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्तगण को निम्नानुसार दण्डित किया जाता है—



**Criminal Case No-209/11**  
**Filling no-RCT/00200209/2011**

अभियुक्त	भा0दा0वि0 की धारा	सश्रम कारावास	अर्थदण्ड की राशि	अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में सश्रम कारावास
<b>थानसिंह</b>	324 / 149	6 माह	300 /—	15 दिवस
	323 / 149	3 माह	200 /—	7 दिवस
	325 / 149	6 माह	500 /—	15 दिवस
	148	3 माह	200 /—	7 दिवस
<b>प्रमोद</b>	324 / 149	6 माह	300 /—	15 दिवस
	323 / 149	3 माह	200 /—	7 दिवस
	325 / 149	6 माह	500 /—	15 दिवस
	148	3 माह	200 /—	7 दिवस
<b>पल्लू</b>	324 / 149	6 माह	300 /—	15 दिवस
	323 / 149	3 माह	200 /—	7 दिवस
	325 / 149	6 माह	500 /—	15 दिवस
	148	3 माह	200 /—	7 दिवस
<b>राजू</b>	324 / 149	6 माह	300 /—	15 दिवस
	323 / 149	3 माह	200 /—	7 दिवस
	325 / 149	6 माह	500 /—	15 दिवस
	148	3 माह	200 /—	7 दिवस
<b>वीरन</b>	324 / 149	6 माह	300 /—	15 दिवस
	323 / 149	3 माह	200 /—	7 दिवस
	325 / 149	6 माह	500 /—	15 दिवस
	148	3 माह	200 /—	7 दिवस

अभियुक्तगण की उपरोक्त सभी मूल सजाएं साथ—साथ भुगतायी जावे।

**21—** अभियुक्तगण द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

**22—** प्रकरण में जप्तशुदा एक बांस की लाठी में लोहांगी लगी, एक लोहे की धारदार छूरी, एवं दो लाठी बांस की मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात नष्ट किये जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलिय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही

***Criminal Case No-209/11***  
***Filling no-RCT/00200209/2011***

की जावे।

**24—** अभियुक्तगण को निर्णय की एक प्रति निःशुल्क दी जावे।

**23—** अभियुक्तगण के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

साजिद मोहम्मद  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0